

**भारत के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**तथा**

**आई पी आस्ट्रेलिया**

**(“पक्ष”)**

**के बीच बौद्धिक संपदा में द्विपक्षीय  
सहयोग पर समझौता ज्ञापन**

**आस्ट्रेलियाई सरकार  
आई पी आस्ट्रेलिया**

भारत के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

तथा

आई पी आस्ट्रेलिया

(“पक्ष”)

के बीच बौद्धिक संपदा में द्विपक्षीय

सहयोग पर समझौता ज्ञापन

बौद्धिक संपदा के सृजन, संरक्षण, प्रबंधन तथा उपयोग के प्रोत्साहन में दोनों पक्षों के बीच निकट सहयोग से उत्पन्न लाभों को स्वीकार करते हुए; तथा

आर्थिक वृद्धि के लिए बौद्धिक संपदा के संरक्षण व उपयोग के प्रोत्साहन के भावी आम लक्ष्यों के लिए अपने संबंध सद्द करने की इच्छा रखते हुए.

1. बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में परस्पर लाभदायी सहयोग के संभावित मुख्य क्षेत्रों के रूप में दोनों पक्षों द्वारा निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की गई:

- क. क्षमता निर्माण;
- ख. जन-शिक्षा व जागरूकता; तथा
- ग. अनुभवों का आदान-प्रदान।

2. दोनों पक्ष एक कार्ययोजना बनाएंगे जो दोनों पक्षों के परस्पर लाभ में विनियोजन के विशेष अवसरों की पहचान तथा विकास करेगी।
3. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की अपनी-अपनी राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, नामतः

- क. भारत का पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय; और
- ख. आईपी आस्ट्रेलिया ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया

4. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से प्रारंभ होगा।
5. यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष बाद अथवा किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को छह माह की अग्रिम लिखित सूचना देते हुए पहले ही समाप्त किया जाएगा। इसे दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से भी समाप्त किया जा सकता है उस स्थिति में यह परस्पर निर्धारित तिथि से छह माह पश्चात् पर समाप्त होगा।

20 मई, 2008 को मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में अंग्रेजी भाषा की दो मूल "प्रतियों" में हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षरित/-

गोपाल कृष्ण  
संयुक्त सचिव  
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
भारत गणराज्य

हस्ताक्षरित/-

फिलिप नूनान  
महा निदेशक  
आई पी आस्ट्रेलिया  
कॉमनवेल्थ ऑफ  
आस्ट्रेलिया